उत्तर प्रदेश और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

1885–1947

सन् 1857 का स्वाधीनता संग्राम भारत में विदेशी सत्ता को समाप्त करने का प्रथम जनान्दोलन था। इस क्रान्ति का प्रारम्भ और अंत संयुक्त प्रांत में हुआ था। यघपि क्रान्ति के प्रयास अलग–अलग क्षेत्रों में हुए और क्रान्ति असफल हुई किन्तु इसके उपरान्त नवीन राष्ट्रीय भावनाएं व्यापक हुई, 1857 के क्रान्तिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया उनके असफल प्रयत्नों ने एक ओर संयुक्त प्रान्त में ब्रिटिश दमनकारी नीति को नवीन स्वरुप प्रदान किया दूसरी ओर भारतवासियों के राष्ट्रजीवन में आत्मविश्वास व संघर्ष के विशिष्ट प्रयासों की श्रृंख्ला का प्रारम्भ हुआ जिसकी अंतिम परिणति 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के रुप में हुई।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न घटनाओं से उत्तर प्रदेश का घनिष्ठ सम्बन्ध है इसके आन्दोलनकारियों के त्याग व बलिदान भारत के इतिहास के अमिट पृष्ठ हैं। 1857 की क्रांति की घटनाओं का संयुक्त प्रान्त पर स्थाई प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष दमनकारी नीति का कार्यक्षेत्र संयुक्त प्रान्त था। 1858 में पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थान पर सीधे ब्रिटिश शासन का ऐलान महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया लेकिन उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी नाना साहब, बेगम हज़रत महल आदि ने समर्पण नहीं किया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के विरोध में बेगम हज़रत ने ऐलान किया जिसके जिसके कुछ अंश उद्धृत हैं–

उस ऐलान में लिखा है कि हिंदुस्तान का मूल्क, जो अभी तक कंपनी के सुर्पद था, अब मलिक ने अपने शासन में मिला लिया है और आइंदा से मलिक के कानून को माना जाएगा। हमारी धर्मनिष्ठ प्रजा को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस ऐलान में लिखा है कि कंपनी ने जो वादे किए हैं मलिक ने उन्हें मंजूर करेगी। लोगो को चाहिए कि इस चाल को गौर से देखें लें। हमारी प्रजा में से कोई अंग्रेज़ों के ऐलान के धोखे में ना आयें। (हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, चार्ल्स बाल खण्ड दो)

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक संयुक्त प्रांत के विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिरोध का स्वर तीव्र हो गया। 1876–1880 ई0 तक लार्ड लिटन के काल में दमनकारी नीतियों नें संयुक्त प्रांत के सार्वजनिक जीवन को उत्तेजना दी। 1876 ई0 में इंडियन सिविल सर्विसेज़ की प्रतियोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा जब घटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस प्रतिक्रियावादी नीति को चुनौती दी, 1876 ई0 में उन्होंने संयुक्त प्रांत के नगरों आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, अलीगढ, बनारस आदि का भ्रमण किया और अनेक नगरों में इंडियन एसोसिएशन की शाखाएं खोली गई। यह पहला राजनैतिक आंदोलन था जिसमें पहली बार विभिन्न भारतीयों को एक उद्देश्य से एक मंच पर लाया गया था। आगे चलकर 1883 में इल्बर्ट बिल ने यह साबित कर दिया कि न्यायिक क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीयों के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहते। 1885 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पुनः उत्तर भारत का दौरा करके लोगो को सचेत किया।

19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन और भारतीय पुनर्जागरण से भी संयुक्त प्रान्त में नई चेतना जागृत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती ने इटावा, मैनपुरी व एटा आदि स्थानों में विदेशी सत्ता को समाप्त करने का अह्वान किया। 1875 के बाद आर्य समाज की अनेक शाखाएं विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुईं साहित्यकारों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति पर व्यंग्य करके जनता को राष्ट्रीयता की भावना की ओर अग्रसर किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में–

भीतर–भीतर सब रस चूसै, हंसि हंसि के तन मन धन मूसैं

ज़ाहिर बातिन में अति तेज़, क्यों सखि साजन वहिं अंगरेज़।।

उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ी भाषा के पहले राष्ट्रवादी पत्र ''इंडिया हेराल्ड'' का प्रारम्भ 1879 में पंडित अयोध्या नाथ के द्वारा किया गया।1890 में उन्होंने ''इण्डियन यूनियन'' के नाम से एक और पत्र निकाला।

इन पत्रों के द्वारा जनमत जागरूक हुआ। उत्तरी पश्चिमी प्रान्त और अवध में 1884 में प्रकाशित पत्रों की संख्या 95 थी इनमें से 26 उर्दू में 12 हिंदी और 5 हिंदी उर्दू में थे। 1900 में यह संख्या बढ़कर 109 हो गई जिसमें 70 उर्दू में 32 हिंदी में और 2 हिंदी उर्दू में थें।

1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में नवयुग का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में इसका रुख मौलिक संवैधानिक परिवर्तनों की ओर था। कांग्रेस के आदर्शों ने विभिन्न स्थानों पर व विभिन्न वर्गों पर प्रभाव डाला। संयुक्त प्रान्त की अखिल भारतीय कांग्रेस में शुरु से ही भागीदारी रही। 1885 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन में ही उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादियों की भागीदारी रही। इसके सदस्यों की सूची में 7 लोगों का नाम प्राप्त होता है।

1985 से 1905 के बीच संयुक्त प्रांत में चार अधिवेशन हुए जो उससे संबंधित राष्ट्रवादियों के बढ़ते हुए कदमों को इंगित कर रहे थे ।1888 व 1892 में इलाहाबाद में, 1899 में लखनऊ में तथा 1905 में बनारस में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन हुए। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के पक्ष व विरोध दोनों में सभाएं हुई ।1888 ई. में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अयोध्यानाथ और सचिव रामपाल सिंह ने अधिवेशन को सफल बनाने के लिए अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इसी बीच अली मुहम्मद जी ने प्रान्त के अनेक नगरों में आयोजित करके कांग्रेस की नीतियों और अन्य कार्यक्रमों की चर्चा की ।

स्वदेशी आंदोलन

1905 ई. में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के विरुध स्वदेशी और बॉयकाट आंदोलन में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया। बंगाल विभाजन के विरोध में सितंबर 1905 में इलाहाबाद कायस्थ पाठशाला के प्राचार्या रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में छात्रों की सभा हुई जिसमें स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के विरोध में शपथ ली गई। अमृत बाज़ार पत्रिका 22 अक्टूबर 1905 के अनुसार, आगरा शहर में स्वदेशी जन सभा मनकामेशवर मंदिर में आयोजित हुई जिसमें 10,00,000 के लगभग लोगों की भागीदारी रही। ''लाला केदार नाथ वकील इसके चेयरमैन निर्वाचित हुए और स्वदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। अप्रैल 1906 में बनारस तथा 4 मई 1906 को मेरठ में सभाएं हुए। बरेली में स्वदेशी आंदोलन के संबंध में अनेक लोगों को बंदी बना लिया गया। अक्टूबर 1906 में मुंशी सैय्यद अली और बाबू सुधीर कुअर वर्मा ने लखनऊ में ओजस्वी भाषण दिये। संयुक्त प्रान्त में स्वदेशी आंदोलन से उग्रवादी आंदोलन को बल मिला। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सुंदरलाल ने लोकमान्य तिलक को व्याख्यान के लिए आमन्त्रित किया। 6 जनवरी 1907 को तिलक ने इलाहाबाद में ऐंग्लों–बंगाली इंटरमीडियट कॉलेज के मैदान में अपना पहला राजनौतिक भाषण दिया। उन्होंने इसके द्वारा संपूर्ण प्रान्त में उग्रवादी आंदोलन की नींव डाल दी।

1907 से 1910 तक शांति नारायण भटनागर ने स्वराज्य साप्ताहिका का प्रकाशित किया, इस पत्र के 75 अंक प्रकाशित हुए। 1909 में सुन्दरलाल ने इलाहाबाद से कर्मयोगी पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया। 1902 ई. में कलकत्ता में स्थापित अनुशीलन समिति को सचीन्द्र नाथ सान्याल ने संयुक्त प्रांत में स्थापित

किया। इस गुप्त क्रांति का संगठन ने उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन को गति दी। ब्रिटिश दमनकारी नीति के कारण इसका नाम बदलकर यंगमैन्स एसोसिएशन रखा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो दलों नरम व गर्म दल में विभाजित हो गया तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र दल की कार्यवाहियों की प्रधानता हो गयी। संयुक्त प्रान्त में भी क्रांतिकारी आंदोलन गतिशील हुआ। बनारस इस गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। रास बिहारी बोस के साथ मिलकर शचीन्द्रनाथ और उनके दल यंगमैन एसोसिएशन ने बनारस की सीमा के बाहर निकलकर सेना की सहायता से विद्रोह करने और ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को स्वतंत्र करने की योजना बनाई। किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई , 26 जून 1915 को शचीन्द्रनाथ सान्याल को बंदी बना लिया गया। एस0 आर0 डेनियल मुख्य न्यायधीश के अंतर्गत शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल में बनारस षड्यंत्र केस चलाया गया, 24 लोगों के विरुद्ध मुकदमा 5 नवंबर 1915 से 14 फरवरी 1916 तक चला। बनारस षड्यंत्र केस में कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी बल्कि इसमें आपत्तिजनक साहित्य के वितरण, सैनिकों की वफ़ादारी में हस्तक्षेप व बंगाल से शस्त्र लाकर विभिन्न स्थानों पर पहुँचाएं जाने के आरोप थे। इसके पश्चात् शचीन्द्रनाथ सान्याल को आजन्म कारावास की सज़ा मिली और उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किए गये, रासबिहारी बोस भारत छोड़कर जापान चले गए।

इसके पश्चात् पंडित गोंदालाल दीक्षित की अध्यक्षता में मैनपुरी षड्यंत्र केस मातृदेवी नामक गुप्त संगठन द्वारा संचालित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने सूचना पाने पर गोंडालाल को बंदी बना लिया और मैनपुरी में क्रांतिकारियों के प्रयत्न को विफल कर दिया। फिर भी देव नारायण भारत ने मातृदेवी संगठन को नेतृत्व प्रदान किया। इसमें गंगा सिंह चंदेस लखनऊ राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर तथा शिव कृष्ण मैनपुरी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सभी नेताओं ने सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने व युद्ध सहायता कोष में भागीदारी की अपील की। कांग्रेस का विचार था कि धन–जन से सरकार की सहायता करने पर इंग्लैंड भारत का आभारी होगा और स्वशासन प्रदान करेगा लेकिन जब 1917 में अगस्त घोषणा हुई तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार व स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास की बात कही गई। इस घोषणा के बाद 1918 में मुंबई अधिवेशन में इन सुधारों को असंतोष प्रद कह कर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इसके बाद क्रांतिकारी और अधिक सक्रिय हो गये सरकार ने क्रान्किारियों का दमन करने के लिए रौलट एक्ट पारित किया जिसके अनुपालन में अनेक गिरफ्तारियां हुई। जिसकी प्रतिक्रिया में रौलेट सत्याग्रह हुआ। इस समय तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर अहिंसात्मक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे देशव्यापी हड़ताल के दौरान कानपुर में ऊनी कपड़ा मिल में 9 नवंबर से 2 दिसम्बर तक 17000 लोग हड़ताल पर गये।

ख़िलाफत और असहयोग आंदोलन

गांधीजी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रदेश के नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ और जिन प्रतिभागियों में तेज़ी आई गांधीजी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर संयुक्त प्रान्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मज़बूत आधार बन गया इसने राष्ट्रीय राजनीति में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लिया। 1920 ई0 में असहयोग आन्दोलन के साथ ही संयुक्त प्रांत के ख़िलाफत आंदोलन भी चलाया। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध में टर्की पराजित होकर सेव्रस की संधि के लिए बाध्य हुआ तो टर्की के सुल्तान की ख़िलाफत भी समाप्त हो गई और सभी मुस्लिम लोगों ने इसे ब्रिटिश नीति का प्रतिफल समझ कर विरोध कर ख़िलाफत आन्दोलन चलाया। संयुक्त प्रान्त में भी महात्मा गाँधी, मौलाना मुहम्मद अली व शौकत अली ने दौरे कियें। सार्वजनिक सभाएं की गयीं, स्थानीय लोगों से संपर्क करके उन्हें असहयोग के लिए तत्पर रहने के लिए कहा गया।

महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए 10 मार्च ,1920 को एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 30 मई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बनारस में हुई। इस पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का निश्चय किया गया। 2 जून को इलाहाबाद में हुए नेताओं के सम्मेलन में आंदोलन के चार प्रकरणों में प्रारंभ करने का अह्वान हुआ उपाधियों एवं सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र पर विशेष बल दिया गया। इस सम्मेलन में अहसहयोग की नीति तय करने के लिए समिति बनाई गई 9 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई ख़िलाफत कमेटी की बैठक में असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई। जिसकी पुष्टि 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुई।

महात्मा गांधी ने कैसर–ए–हिंद की उपाधि का परित्याग करके संयुक्त प्रांत का भ्रमण किया, वहां महिलाओं और पुरुषों की सभाओं को संबोधित किया। 29 नवंबर,1920 को इलाहाबाद में महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं अपने पति व पुत्रों से अनुरोध करें और हमें प्रोत्साहन दे कि वे अपने कर्तव्य के पथ पर चले और स्वदेशी को अपना कर स्वतंत्र भारत के निर्माण में प्रबल सहायता दें। महात्मा गाँधी ने 20, 21 नवम्बर को झांसी 23 नवंबर को अलीगढ़, आगरा, 27 नवंबर को बनारस में भाषण देकर विद्यार्थियों से सरकारी विद्यालय छोड़ने की अपील की। कस्तूरबा गांधी ने संयुक्त प्रान्त में 8 फरवरी 1921 को गोरखपुर, 9 फरवरी को बनारस, 10 फरवरी को हैदराबाद और 11 फरवरी को लखनऊ, 1 मार्च को बदायूं में सभाओं को संबोधित कर पुरुष व महिलाओं को विदेशी वस्त्र त्याग का खादी ग्रहण करने और सूट काटने के लिए प्रेरित किया।

मई 1927 में इलाहाबाद ज़िले के सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान महिला सदस्य बनाने की ओर आकृष्ट किया।

मोतीलाल नेहरू आदि ने वकालत छोड़ दी। सरकारी स्कूलों व न्यायालयों का बहिष्कार होने लगा। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय देशी शिक्षण संस्थाओं के रूप में स्थापित हुए। 1921 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 137 राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी।

अक्टूबर 1921 को कांग्रेस में ख़िलाफत सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया इसके पश्चात् संयुक्त प्रांत में विभिन्न स्थानों पर आंदोलनकारियों ने ख़द्दर पहनने, चरखा चलाने अहिंसा, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने, अस्पृश्यता निवारण में उल्लेखनीय योगदान सुनिश्चित किया।

पुरुषों और महिलाओं में सम्मिलित रूप आंदोलन में भागीदारी की बदायूं ज़िले में 300 पुरुषों व स्त्रियों ने शराब की दुकान के आगे धरना दिया तथा गोंडा ज़िले की सभा में विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया। सभाओं के आयोजन पर रोक के बावजूद भी श्रीमती अब्दुल कुँवर के सभापत्तिव में सभा हुई श्रीमती हाक़िम अब्दुल वहाब, श्रीमती तेज़ बहादुर, श्रीमती कृष्णा नेहरू, श्रीमती स्वराज नेहरू,ने श्रीमती गोपाल नारायण व श्रीमती बेनी प्रसाद सिंह आदि ने भाग लिया। जनवरी 1922 में अली बन्धुओं की माता आबदी बेगम बी अम्मा ने आज़मगढ़ ज़िले में मुरादाबाद, कोपारगंज व मऊ में विशाल जनसभा को संबोधित किया और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की अपील की।

महात्मा गांधी ने 10 अगस्त 1921 को इलाहाबाद की सभा में संयुक्त प्रांत की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे बालकों को जेल भेजा जा रहा है और आशा व्यक्त की कि इस दिशा में पुरुषों से अधिक कार्य महिलाएं कर सकती हैं। आंदोलन के दौरान अनेक सदस्य गिरफ्तार कर लिए गये अतः प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में नेहरू परिवार की अनेक महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के स्वदेशी विभाग प्रान्त में चरखों की संख्या बढ़ गयी। विदेशी वस्तुओं की बिक्री 65 प्रतिशत गिरी गई। इलाहाबाद झांसी इटावा, जालौन हथरस, अलीगढ़, कांसगंज, बुलन्दशहर, मैनपुरी और कानपुर की कांग्रेस कमेटी ने चरखा प्रचार और सूत काटने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्रदेशिक समितिया अत्यन्त सक्रिय हो गयी और ब्रिटिश दमनकारी नीतियों को नज़र अन्दाज़ किया गया।

1920–22 के मध्य असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं ने कृषकों के बीच कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में पहल की और प्रतापगढ़ के अवध कश्तकारी विधेयक (Oudh Tenancy Bill) के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। सीतापुर, रायबरेली और संयुक्त प्रान्त के अन्य ज़िलों में भी अनेक किसान संघर्ष हुए। 1921 के आरम्भ में उत्तर प्रदेश में किसान सभा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जो एका आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ यद्यपि कर बन्दी का कार्यक्रम असहयोग आंदोलन में रोक दिया गया लेकिन ज़मीनदारों ,द्वारा शोषित और सरकार द्वारा प्रताड़ित निर्धन किसान वर्ग ब्रिटिश सरकार और ज़मींदारों के लिए ज़मींदारों के विरुद्ध अहिंसक विरोध के लिए उठ खड़ा हुआ। पंचायतें बनायी गयीं, करों की अदायगी रोकने के लिए एक ही पुलिस सर्किल में कई–कई एका सभाएं हुईं।

5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर ज़िले के चौरी–चौरा की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ दिया इसका आरम्भ स्वंयसेवी दस्ते द्वारा अनाज की बढ़ी क़ीमतों और शराब की ब्रिकी के विरोध में स्थानीय बाज़ार में धरना देने से हुआ। पुलिस ने स्वंसेवकों की भीड़ पर गोलियाँ चलाई जिसके प्रत्युत्तर में आंदोलनकारियों में एक थानेदार और 21 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया । इस हिंसक घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया लेकिन इस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन संयुक्त प्रांत के जनपदों में लोगों के अर्न्तमन में विदेशी अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध चेतना जाग्रत कर चुका था और आंदोलनकारियों को नया साहस और विश्वास प्राप्त हो चुका था।

चौरी–चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में जब असहयोग आंदोलन वापसी की और रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया तो उसके इस कदम की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस चितरंजन मोतीलाल नेहरू ने निर्णय पर शेष प्रकट किया। असहयोग आंदोलन से जुड़े युवा वर्ग नये मार्ग की तलाश करने लगा। 10 मार्च, 1920 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 साल का कारावास दे दिया गया। इसके पश्चात् क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां और पकड़ने लगी। इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल का भी गठन हुआ और एम0 एन0 रॉय ने साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व किया संयुक्त प्रांत के अनेक स्थानों पर बोल्शेविक सिद्धांत का प्रचार हुआ ।

क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय चरण मई–1923

कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस–1923 ई0 में योगेश चंद्र चटर्जी क्रांतिकारी दल अनुशीलन समिति की ओर से संयुक्त प्रान्त में आये और शचीन्द्रनाथ सान्याल के साथ कानपुर से अपने संगठन को प्रांत के अन्य ज़िलों में फैलाने की योजना बनाई। इस समय तक एम0 एन0 राय कम्यूनिस्ट संगठन का प्रचार कर रहे थे जिससे ब्रिटिश सरकार को खतरा नज़र आ रहा था। अतः मार्च 1923 में प्रांतीय सरकारों को बोल्शेविक साहित्य पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए गये। मई 1923 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र चलाकर कम्यूनिस्टों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। शौकत उस्मानी,एम0 ए0 डांगे, मुज़फ्फर अहमद, गुलाम हुसैन व नलनी गुप्ता आदि को बंदी बना लिया गया। रजनीपामदत्त के अनुसार कानपुर षड्यंत्र केस नें भारतीय राजनीति में मज़दूर वर्ग के आंदोलन की दिक्षा दी।

काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925

काकोरी कांड का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष स्थान है। 1923 में क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया, 3 अक्टूबर 1924 को योगेश चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में कानपुर में इसकी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें सरकारी संपत्ति को लूटने की योजना बनाई गयी। रेल डकैती के लिए 10 सदस्यों का चयन किया गया राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, मुकुंदी लाल, अशफ़ाक उलाह ख़ाँ, मन्मथनाथ गुप्त, बनवारी लाल, शचीन्द्र नाथ बख़्शी, मुरारी लाल और कुंदन लाल यह सभी नौजवान 8 डाउन गाड़ी में सवार हुए जब ट्रेन काकोरी से लखनऊ जाने लगी तो ट्रेन रोक कर खज़ाना लूट लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने हार्टन की अध्यक्षता में विशेष पुलिस इकाई गठित की। जिसमें कुंदनलाल चंद्र शेखर आज़ाद को फरार घोषित किया और लोगों को बंदी बना लिया गया। मुकदमा चला और फैसले में दिसंबर 1927 को चार क्रांतिकारियों राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक उल्ला खां और ठाकुर रोशनसिंह को क्रमशः फांसी दे दी गई। 17 दिसंबर को गोंडा जेल में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को, 19 दिसंबर को गोरखपुर जेल में, अशफ़ाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद जेल में, ठाकुर रोशनसिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई।

काकोरी षड्यंत्र केस की न्यायालय की कार्यवाही और चार क्रांतिकारियों की फांसी से विशेषकर युवा वर्ग में ज़ोश उत्पन्न हुआ। क्रांतिकारी लोगों को भगत सिंह का नेतृत्व प्राप्त हुआ। संयुक्त प्रान्त में शिव शर्मा, विजय कुमार सिन्हा जितेंद्र नाथ सान्याल व फणीन्द्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारी दल को सुसंगठित करने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद पर गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली। चंद्रशेखर आज़ाद गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों करते रहे।

1928 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की गतिविधियों को रोकने के लिए सर जान की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था अतः भारतीयों को निराशा हुई साइमन कमीशन के विरोध में देशव्यापी आंदोलन में भी संयुक्त प्रांत के विभिन्न ज़िलों में प्रतिक्रिया हुई। कई जनपदों में हड़तालें और विरोध प्रदर्शनों के मध्य साइमन गो बैक के नारे और काले झंडे लहराए गये। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लखनऊ आया तो उसका विरोध करने पर जवाहर लाल नेहरु और गोविन्दवल्लभ पंत को लाठियों के प्रहार का सामना करना पड़ा।

लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार के कारण देहान्त हो गया तो क्रान्तिकारियों ने साडर्ण्स की हत्या कर दी, इस अपराध में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें संयुक्त प्रान्त के राजकिशोर सिंह भी थे।

मेरठ षड्यन्त्र केस– 12 जून, 1929

साइमन कमीशन के विरोध में राजनैतिक हड़तालों में मज़दूर वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अतः सरकार ने कम्यूनिस्टों व मज़दूरो पर तीव्र प्रहार किये। ब्रिटिश सरकार ने मज़दूरों के हड़ताल के अधिकार को सीमित करने तथा मज़दूरों एवं मालिकों के, झगड़े को निपटाने के लिए ट्रेड डिस्टयूट्स ऐक्ट बनाया और साम्यवादी नेताओं की गिरफ़्तारी के आदेश दिये। भारत के अन्य भागों के समान संयुक्त प्रान्त पी.सी.ज़ोशी, अयोध्या प्रसाद, गौरीशंकर, एल. कदम ओर शौकत उस्मानी पर भी मेरठ में मुकदमा चलाया गया 12 जून, 1929 की यह घटना मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी क्रान्तिकारी अभियुक्त मेरठ के स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष अदालत जाते समय क्रान्तिकारी गीत गाते हुए जाते थे इन सभी अभियुक्तों को सज़ाएं घोषित की गयी। मेरठ केस की तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई। यह मुक़दमा मेरठ के स्पेशल

मजिस्ट्रेट मिलर व्हाइट की अदालत में चला था सम्पूर्ण देश के मज़दूर नेताओं को पकड़कर उनके मुक़दमें के लिए मेरठ शहर को चुनना आपत्तिजनक था क्योंकि मेरठ शहर औद्योगिक केन्द्र भी नहीं था। मेरठ के चार वर्षों के मुक़दमे को श्रमिक वर्ग के विरुध प्रहार माना गया। इस मेरठ षड्यन्त्र केस का राष्ट्रीय आन्दोलन की गति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन– नमक सत्याग्रह

26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस पंडित जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में घोषित किया गया। कांग्रेस द्वारा नियुक्त कार्य समिति ने जनवरी 1930 के प्रारम्भ में ही एक प्रस्ताव पारित करके सभी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को 26, जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्देश दिया था। जगह–जगह पर कांग्रेस का झंडा लहराया गया और सामूहिक रूप से प्रतिज्ञापत्र पढ़ गयें। 26 जनवरी 1930 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर यह उत्साह वर्धक संकल्प दोहराया गया–

हम विश्वास करते हैं कि आज़ादी प्राप्त करना हिंदुस्तानी लोगों का अधिकार है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि भारत को पूरी तरह अंग्रेज़ों से संबंध तोड़ देना चाहिए और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गठित मज़दूर किसान पार्टी ने पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में जनमत तैयार किया।

गांधीजी ने अब ब्रिटिश कानून को तोड़ने का निश्चय किया जिसमें यह विचार किया गया कि नमक जैसी साधारण सभी के उपयोगी वस्तु बनाने के ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त किया जाए। 12 मार्च 1930 को गांधीजी ने यात्रा प्रारंभ की यह साबरमती से दांडी यात्रा का प्रयास मानव इतिहास में बेजोड़ था। उत्तर प्रदेश से मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम की ओर से कूच किया और जम्बूसर में गांधी जी से मिले। उन पर ऐसा जादू हुआ कि उन्होंने इलाहाबाद में अपना स्वराज भवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया और लौट कर उन्होंने इलाहाबाद की सड़कों पर घूम घूम कर गैर कानूनी ढंग से बनाया हुआ नमक बेचा। अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह ने तेज़ी पकड़ी थी और उत्तर प्रदेश के कोने–कोने तक फैल गया था। इस समय तक छात्रों ने स्कूल, कॉलेज छोड़ दिए, मजदूरों ने हड़ताल की तथा किसानों ने लगान बंदी का मार्ग अपनाया।

5 मई 1930 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध में उग्र प्रतिक्रिया में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका थी। इस आंदोलन में महिलाओं का भी अप्रत्याशित योगदान था।

लगान कम करने का आंदोलन कांग्रेस कार्यसमिति के आदेश से इलाहाबाद के किसान सम्मेलन से प्रारंभ हुआ जो शीघ्र ही संयुक्त प्रांत के अन्य भागों में भी फैल गया। ब्रिटिश सरकार का दमन कारी चक्र उत्तर प्रदेश पर भी चला, अनेक ज़िलों में मार्श लॉ लागू कर दिया गया लेकिन इसके प्रतिक्रिया स्वरुप उत्तर प्रदेश में यह जन आंदोलन तीव्र हो गया।

महात्मा गांधी की गोलमेज वापसी के बाद जन आंदोलन का दूसरा चरण प्रभावी रहा। 1932–33 के दमन चक्र में गांव व शहरों पर पुलिस ने हमला किये। गांव वाले से जुर्माने लिए गए और ज़मीने ज़ब्त कर ली गई शराब की दुकानों पर धरना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस ने 1933 में सामूहिक अवज्ञा आंदोलन बंद करके व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का फैसला दिया जिसे जनसमर्थन प्राप्त हुआ। 1932 में अखिल भारतीय युवा छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई और जनवरी 1933 में गांधी जी ने साप्तहिक 'हरिजन' का प्रकाशन प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के गांव में हरिजन यात्रा भी की गई। हरिजन कल्याण कार्यों ने ग्रामीण समाज के शोषित वर्गों तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने का कार्य किया । प्रतिक्रियाएं 1932 ई0 के 'कम्युनल एवार्ड' के विरुद्ध थी जिसके द्वारा हरिजनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान

किए गए थे। गांधी जी ने इसके विरुद्ध व्रत रखा था इसका प्रभाव भी उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारियों पर पड़ा।

भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी की घटना का क्रांतिकारी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से युवा वर्ग में आक्रोश था। 27 फरवरी 1931 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में अल्फ्रेट पार्क में इलाहाबाद में चन्द्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों बलिया, बनारस, गोरखपुर आदि में क्रांतिकारी घटनाएं हुई।

1935 ई0 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पश्चात् जब प्रांतीय स्वायत्तता के तहत 1937 में सात प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और शासन का आश्वासन अनुभव प्राप्त हुआ।

भारत छोड़ो आंदोलन 1942

1942 ई0 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों से भारत पर से आधिपत्य हटाने की अपील की गई पुनः 7–8 अगस्त को मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त की रात्रि में ही संयुक्त प्रान्त की सरकार ने प्रान्त में कांग्रेस समितियों को अवैध घोषित कर दिया और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत व्यापारियों और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए कहा गया।

9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश प्रान्त की सक्रिय भूमिका रही। विभिन्न जिलों में सभाएं आयोजित की गई और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 'नहीं रखनी ज़ालिम सरकार नहीं रखनी' तथा 'करो या मरो' के नारे लगाए हैं अनेक स्थानों पर जुलूस निकाले गये। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की ओर से सामूहिक गिरफ्तारियां लाठीचार्ज तथा कांग्रेसी दफ़्तरों की ज़ब्ती जैसा क़दम उठाए फिर भी भारत की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच गई।

भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ आंदोलनकारियों ने स्वयं को बंदी बनाकर भूमिगत आंदोलन चलाया। उदाहरणार्थ शाहजहांपुर में प्रेम किशन खन्ना, और ठाकुर मनोहर सिंह, राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आदि। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य क्रांतिकारी योगेंद्रचंद्र चटर्जी के साथ भूमिगत आंदोलन में सक्रिय थे।

जन आंदोलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आंदोलन के चार प्रमुख केंद्रों में से एक था। बिहार में होने वाले आंदोलन की लहर बनारस संभाग में फैल गई। बलिया जनपद सदस्य क्रांति में प्रमुख था, 13 अगस्त को बिलथरा स्टेशन जला दिया गया, 16 अगस्त को रसड़ा तहसील के खज़ाने व थाने पर आक्रमण हुआ, किड़हापुर स्टेशन भी जला दिया गया, 20 अगस्त को बलिया में प्रशासन पर कब्ज़ा करके संचार व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई और दिनों दिन तक पंचायत राज्य चलाया।

ब्रिटिश शासन से मुक्ति की घोषणा की गयी। वहां पर चिलू पांडे को ज़िलाधीश घोषित करके कांग्रेस राज्य की घोषणा की गयी लेकिन ब्रिटिश सेना बलिया पहुंच गई और क्रांतिकारियों की सफलता अस्थाई सिद्ध हुई। उमाशंकर, सूरजप्रसाद, शिवनाथ, बच्चालाल व राजेंद्रलाल आदि बंदी बना लिए गये। रामकृष्ण सिंह वं बागेश्वर सिंह को इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। अनेकों घर जला दिए गये, हवाई जहाज़ से बम गिरा कर गांव ध्वस्त कर दिए गये।

11 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने भी जुलूस निकाला। 12 अगस्त को नगर क्षेत्र में दो जुलूस निकाल जिनमें से एक नेतृत्व यदुवीर सिंह कर रहे थे। छात्र लालपद्मधर भी

इसी प्रयास में शहीद हुए। नगर कोतवाली एन0 ए0 आग़ा द्वारा अकारण गोली चलाए जाने के विरोध में अमीर रज़ा, डिप्टी कलेक्टर ने त्यागपत्र दे दिया। 13 अगस्त को बमरौली हवाई अड्डे और गांव में भी संघर्ष हुए।

इस संबंध में लखीमपुर खीरी के राजनारायण मिश्र का बलिदान भी उल्लेखनीय हैं। इस आंदोलन में 300 नवयुवकों की टोली बनाकर ज़िलेदार की बंदूक छीनने के प्रयास में गोली लगने से ज़िलेदार की मृत्यु हो गयी। उन्होंने बचने का प्रयास किया लेकिन 22 जून 1944 को उन्हें फांसी दे दी गयी। अल्मोड़ा में पंडित मदन मोहन उपाध्याय ने क्रांतिकारी युवकों के साथ संगठित रूप से आंदोलन चलाया।

खुला विद्रोह अधिक समय तक नहीं चला, बाद में सरकार ने उन पर प्रहार किया लेकिन आन्दोलनकारी विशेषकर स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों ने पुलिस की लाठीयों और गोलियों के प्रहार का साहसपूर्ण सामना किया।

जब भारत छोड़ो आंदोलन का दमन बड़े वेग से चल रहा था तो 1942–44 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं ज़ोरों पर थी। इस समय तक 1944 में महात्मा गांधी यद्यपि जेल से वापस आ गये किन्तु अब वे प्रत्यक्ष आंदोलन का नेतृत्व करने के इच्छुक नहीं रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे का भी उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग पर प्रभाव पड़ा। आज़ाद हिंद फौज और काम चलाऊ सरकार से लोग प्रोत्साहित हुए। आज़ाद हिंद फौज के अफ़सरों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, एक सैनिक न्यायालय स्थापित किया गया उसके सामने यह मुक़दमा दिल्ली के प्रसिद्ध लाल क़िले में चलाया गया। कई प्रसिद्ध वकील तेज बहादुर सप्रू और जवाहर लाल नेहरु ने अपनी सेवाएं अर्पित की। इस मुक़दमे के विरोध में कई नगरों में प्रदर्शन हुए, धन संग्रह हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि वे जहाँ जाते थें वहाँ नौ सेना, वायु सेना और स्थल सेना के लोग उन्हें घेर लेते थें और कांग्रेस के प्रति अपनी वफ़ादारी का विश्वास दिलाते थे।

भारत की आज़ादी की समस्या का हल कैबिनेट मिशन, माउन्टबेटन योजना व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अधिनियम, 1947 द्वारा क्रमिक रूप से किया गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्येक चरण में उत्तर प्रदेश की भागीदारी अविस्मरणीय है और स्वतंत्र भारत के हर युग के भारतवासियों के लिए इसकी अनुभूति आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन

वर्ष	अधिवेशन	स्थान	अध्यक्ष
1888	चौथा	इलाहाबाद	जार्ज यूल
1892	आठवां	इलाहाबाद	व्योमेशचन्द्र बनर्जी
1899	पन्द्रहवां	लखनऊ	आर0 सी0 दत्त
1905	इक्कीसवां	बनारस	गापाल कृष्ण गोखले
1910	पच्चीसवां	इलाहाबाद	सर विलियम वेडरबर्नस
1916	इक्कीसवां	लखनऊ	ए0 सी0 मजूमदार
1925	चालीसवां	कानपुर	सरोजनी नायडू

1936	उनचासवां	लखनऊ	जवाहर लाल नेहरु
1946	चौवनवां	मेरठ	जे0पी0 कृपलानी

उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादियों द्वारा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता

1909	चौबीसवां	लाहौर	मदनमोहन मालवी
1918	तैतीसवां	दिल्ली	मदनमोहन मालवी
1919	चौतीसवां	अमृतसर	मोतीलाल नेहरु
1923	अड़तीसवां	कोएनाडा	मोहम्मद अली
1927	बयालिसवां	मद्रास	एम0 ए0 अन्सारी
1928	तैतालिसवां	कलकत्ता	मोतीलाल नेहरु
1929	चौवालिसवां	लाहौर	जवाहर लाल नेहरु
1936 (अप्रैल)	उन्चासवां	लखनऊ	जवाहर लाल नेहरु
1936 (दिसम्बर)	पचासवां	फैज़पुर	जवाहर लाल नेहरु